94

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1817–तीन/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19–09–2000 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 356/अपील/1991–92.

....

1–अंगद सिंह तनय सूर्यभान सिंह (मृत)
वारिसान :–
1–त्रिभुवन सिंह
2–तेजबली सिंह
3–फन्ती सिंह
4–छोटेलाल सिंह
5–पृथ्वीराज सिंह पुत्रगण तिलकधारी सिंह
निवासीगण ग्राम चिनगो तहसील
चितरंगी जिला सीधी म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

काशी राम तनय शेषमणि बैसवार (मृत)
वरिसानः–
1–रामलल्लू पुत्र स्व0 श्री काशीराम
2–गोकु प्रसाद पुत्र स्व0 श्री काशीराम
3–लाल कुमार पुत्र स्व0 श्री काशीराम
4–राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 श्री काशीराम
5–प्रकाश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री काशीराम
6–बुटलवा देवी पुत्री स्व0 श्री काशीराम
7–ललनिया देवी पुत्री स्व0 श्री काशीराम
निवासीगण ग्राम चिनगो तहसील
चितरंगी जिला सीधी म0प्र0

–––अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 डी0 शर्मा,अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 06-04-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–09–2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चिनगो में स्थित सर्वे कमांक 62 रकवा 0.474 का भूमिस्वामी अंगद सिंह पिता सूर्यभान सिंह था उसके हिस्से की राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक काशीराम के नाम नामांतरण उसकी सहमति के आधार पर नामांतरण कर दिया गया था, जिससे दुखित होकर आवेदक अंगद सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 23.5.92 को स्वीकार की गई। इससे दुखित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 19.9.2000 को स्वीकार की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर निर्विवाद रूप से अंगद सिंह का नाम भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित था। अंगद सिंह ने अनावेदक काशीराम के हित में अपनी भूमि विक्रय पत्र आदि किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं की। राजस्व निरीक्षक बुधमनिया द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 47 पर दिनांक 19.9.88 को अंगद सिंह के स्थान पर अनावेदक काशीराम के नाम की प्रविष्टि कर दी जिसके विरूद्ध अंगद सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी द्वारा नामांतरण की पंजी पर किये गये

आदेश को यह कारण दर्शाते हुये निरस्त किया कि अंगद सिंह के स्थान पर काशीराम का नाम आपसी सहमति के आधार पर अंकित किया गया है जबकि अचल संपत्ति का हस्तांतरण बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के नहीं हो सकता। उनके द्वारा यह लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने अपने आदेश यह भी लिखा है कि अपीलार्थी अंगद सिंह हस्ताक्षर नहीं करता है, अंगुष्ठ का निशान लगाता है। उद्घोषणा का विधिवत प्रकाशन नहीं किया गया न ही संहिता की धारा–110 के अंतर्गत निर्मित नामांतरण नियमों का पालन किया गया है इस कारण नामांतरण पंजी पर किये गये आदेश को निरस्त किया गया है। अंगद सिंह के स्थान पर काशीराम का नाम इस आधार पर पृविष्ट किया गया था कि भूमि सर्वे कमांक 62 पर पहले काशीराम के पिता शेषमन का नाम अंकित था और अंगद सिंह के नाम की पृविष्टि गलती से हो गयी थी नामांतरण पंजी पर अथवा प्रकरण के अभिलेख से कही भी यह स्पष्ट नहीं है कि अनावेदक के पिता शेषमन का नाम किस वर्ष तक भूमि स्वामी के रूप में अंकित था एवं अंगद सिंह के नाम की तथाकथित गलत प्रविष्टि कितने वर्षो से चली आ रही है। यह कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी, अपर आयुक्त रीवा अथवा इस न्यायालय के समक्ष आवेदन देते हुये कोई अतिरिक्त साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है। विवाद के अंतिम स्तर पर अर्थात इस न्यायालय के समक्ष निगरानी की कार्यवाही में कोई ऐसी साक्ष्य दी भी नहीं जा सकती जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष न दी गई हो और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत न कर सकने का कोई कारण दर्शाया गया हो। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 19.9.2000 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि विवादित भूमि संवत 1994 से अनावेदक काशीराम के पिता शेषमणि के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है। (पटट्ा इलाका वर्दी की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है) अंगद सिंह आवेदक के पूर्व हिताधिकारी का नाम राजस्व अभिलेख में बिना किसी अधिकार के लिख दिया गया था जिसे तहसील न्यायालय द्वारा अंगद सिंह की सहमति से विलोपित किया जाकर अनावेदक काशीराम के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किये जाने का नामंतरण आदेश पारित

किया गया था। नामंतरण पंजी पर अंगद सिंह के हस्ताक्षर है वह अंगूठा नहीं लगता था अपितु हस्ताक्षर करता था अंगद सिंह एवं उसके भाई तिलक धारी सिंह ने एक अन्य नामांतरण प्रकरण में नामांतरण पंजी पर हस्ताक्षर किये है जिसकी छाया प्रति तर्को के समय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी एवं उसकी प्रति आवेदक के अधिवक्ता को भी प्रदान की थी। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी द्वारा केवल उपधारणाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि अंगद सिंह हस्ताक्षर नहीं कर पाता जबकि वास्तविकता यह है कि वह हस्ताक्षर करता था विद्वान अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष है जिसमें निगरानी में हस्ताक्षेप अपेक्षित नहीं है। आवेदकगण द्वारा लिखित तर्को के पैरा कमांक 1 से 5 में किये गये तर्क बेबुनियाद एवं भ्रामक है जब अंगद सिंह नामांतरण के समय स्वयं उपस्थित था तब संहिता की धारा 110 के अधीन निर्मित नामांतरण नियमों के नियम 27 के अधीन उसे किसी प्रकार की सूचना देने की आवश्यकता ही नहीं थी। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि सहमति से पारित आदेश के विरूद्व आवेदक अंगद सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्रचलन योग्य नहीं थी। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का परिशीलन किया गया। ग्राम चिनगो में स्थित सर्वे कमांक 62 रकवा 0.474 का भूमि स्वामी अंगद सिंह पिता सूर्यभान सिंह था उसके हिस्से पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक काशीराम के नाम का नामांतरण राजस्व निरीक्षक द्वारा अंगद सिंह की सहमति को आधार बताकर नामांतरण कर दिया गया था, अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि अंगद सिंह हस्ताक्षर नहीं करता बल्कि अंगुष्ठ का निशान लगाता है। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के प्रकरण में संलग्न पृष्ठ–11 पर नामांतरण पंजी की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंगद सिंह द्वारा वयान दिया है वह इस प्रकार है " **अंगद सिंह पिता सूर्यभन सिंह बघेल सा0 चिनगो उम्र 75 वर्ष पेशा खेती। लिखकर बयान किया कि उक्त आराजी नं0 62 रकवा 0.474 है0 का**

भूमिस्वामी मौजूदा अभिलेख में मैं हूँ। परन्तु सहवन खसरा में दर्ज हो चुका है इसलिये मैं आपस में वयान करता हूँ कि उक्त आराजी काशीराम तनय शेषमन वैसवार के नाम नामंतरण हो जाना उचित है मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है लिखकर वयान किया एवं हस्ताक्षर किया। द0 अंगद सिंह गवाह में मुन्नीलाल वैश्य, शंभू प्रसाद वैश्य, रामगरीव द्वारा हस्ताक्षर किये गये है'' इससे स्पष्ट है कि अंगद सिंह द्वारा लिखित में वयान दिया गया है और अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी का यह कहना है कि अंगद सिंह हस्ताक्षर नहीं करता बल्कि अंगूठा लगाता है लेकिन अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में अंगद सिंह द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जो बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति जैसे हैं। इससे स्पष्ट है कि अंगद सिंह द्वारा सहमति दी गई है और सहमति के आधार पर ही नामांतरण किया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपर आयुक्त रीवा द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 356/अपील/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 19.9.2000 उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर